



कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
कोंकण रेलवे की उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति  
संविधान और नियम

**1. प्रस्तावना:**

रेलवे उपयोगकर्ताओं के बेहतर प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने और प्रदान की गई सेवा से संबंधित मामलों पर कोंकण रेल और इसके उपयोगकर्ताओं के बीच परामर्श के लिए अधिक अवसर प्रदान करने एवं सेवा की दक्षता में सुधार करने के साधन हेतु, कोंकण रेलवे की उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति(के.आर.यू.सी.सी.) (समिति) की स्थापना की गई है।

**2. संघटन:**

समिति में कोंकण रेल द्वारा सेवा प्रदान किए गए क्षेत्र अर्थात रोहा (छोड़कर) से ठोकुर (सहित) तक कोंकण रेलवे उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल होंगे जैसे कि:

**2.1 अशासकीय सदस्य:**

- रेल मंत्रालय नामित महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्यों से लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येकी एक संसद सदस्य। - कुल 8 सदस्य
- राज्य विधानमंडल के प्रत्येक माननीय राज्य विधान सभा अध्यक्ष द्वारा नामित महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्यों का एक विधायक सदस्य। - कुल 4 सदस्य
- चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से कम से कम 5 वर्ष की स्थिति वाले नामित प्रतिनिधित्व - महाराष्ट्र राज्य के दो सदस्य, और गोवा, कर्नाटक और केरल राज्यों से प्रत्येकी एक सदस्य - कुल 5 सदस्य
- पंजीकृत यात्री संघ का प्रतिनिधित्व - महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल प्रत्येक राज्य से एक सदस्य। - कुल 4 सदस्य।
- रेल मंत्रालय द्वारा नामित विशेष हित समूह का प्रतिनिधित्व - कुल 2 सदस्य
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कोंकण रेल द्वारा नामित विशेष हित समूह का प्रतिनिधित्व-1 सदस्य

**टिप्पणी :**

- (1) निम्नलिखित व्यक्तियों के.आर.यू.सी.सी. के सदस्य नहीं हो सकते हैं:  
कोंकण रेल या अन्य क्षेत्रीय रेलवे से जुड़े लाभ के कार्य को धारण करने वाले व्यक्ति उदाहरण: कैटरिंग, वेंडिंग, हैंडलिंग/आउट एजेंसी, आपूर्ति/भंडार, कार्य से संबंधित अनुबंध, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों आदि
- (2) सदस्य भारतीय रेलवे की किसी अन्य क्षेत्रीय रेलवे परामर्शदात्री समिति के सदस्य नहीं होंगे।
- (3) के.आर.यू.सी.सी. के अशासकीय सदस्यों के पदनाम, उनके लेटरहेड, परिचय कार्ड आदि पर मुद्रित उनके नामांकन पत्र के अनुसार सख्ती से होंगे।
- (4) अशासकीय सदस्यों को अपने लेटरहेड, परिचय कार्ड आदि पर कोंकण रेलवे का प्रतीक चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

## 2.2 शासकीय सदस्य:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कोंकण रेलवे, के.आर.यू.सी.सी. के अध्यक्ष होंगे। मुख्य प्रबंधक (प्रशासन) सचिव होंगे। अन्य आधिकारिक सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा उद्देश्य अनुसार नामित किए जाएंगे।

## 3. संगठन के विशेष कार्य क्षेत्र एवं प्रकार्य :

3.1 के.आर.यू.सी.सी., कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सेवा प्रदान किए गए क्षेत्रों में स्थानीय उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात् रोहा (छोड़कर) से ठोकुर (सहित) तक और निम्न: संबंधित मामलों पर विचार करेगी।

- (1) समिति से संबंधित क्षेत्र में सुविधाओं का प्रावधान।
- (2) कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सेवित क्षेत्रों में उद्योगों एवं व्यवसायों के विकास हेतु अधिकतम सेवाओं के लिए अन्य रेलों तथा अन्य परिवहन साधनों के साथ सहयोग कराना।
- (3) कोंकण क्षेत्र का विकास करने के लिए द्वाचागत जरूरतों को मजबूत बनाना।
- (4) रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं में सुधार लाना।
- (5) यात्रियों के हित या सार्वजनिक सुविधा से संबन्धित कोई भी विषय या इन्हें प्रभावित करने वाले ऐसे मामले जो उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व का विषय हैं, या जो उन्हें राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परमर्शदात्री परिषद या प्रशासन द्वारा संदर्भित किया गया है।

3.2 के.आर.यू.सी.सी. की स्थापना की गई है जो चरित्र में परामर्शी होगा।

3.3 कर्मचारी, भर्ती से संबंधित मामले के.आर.यू.सी.सी. के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं।

3.4 रेलवे दरों/किरायों से संबंधित मामले भी के.आर.यू.सी.सी. के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं।

## 4. बैठक:

- i. के.आर.यू.सी.सी. बैठक की आवृत्ति छह महीने में न्यूनतम एक बार होगी।
- ii. बैठक की तिथि की सूचना सचिव द्वारा 60 दिन पूर्व दी जायेगी। सदस्यों द्वारा कार्यसूची बैठक की तारीख से कम से कम 30 दिन पहले भेजा जाना चाहिए।
- iii. बैठक की अंतिम कार्यसूची बैठक की तारीख से 5 दिन पहले सदस्यों को परिचालित की जाएगी।
- iv. बैठक के कार्यवृत्त सचिव द्वारा परिचालित होंगे तथा प्रेस/सोशल मीडिया को संक्षिप्त जानकारी दी जा सकती है।
- v. के.आर.यू.सी.सी. की बैठक के लिए कोई गणपूर्ति निर्धारित नहीं होगी जबतक अधिसूचित ना हो।
- vi. प्रत्येक बैठक के लिए, उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति के साथ एक पीठासीन अध्यक्ष नामित किया जाएगा।

**5. कार्यकाल:**

के.आर.यू.सी.सी. पर कार्यकाल सामान्य रूप से 2 वर्ष से अधिक नाही होगा या रेल मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अवधि अनुसार होगा। के.आर.यू.सी.सी. पर नामांकित सदस्यों का कार्यकाल के.आर.यू.सी.सी. के कार्यकाल की समाप्ति के साथ-साथ समाप्त होगा

**6. राष्ट्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (एन.आर.यू.सी.सी) पर प्रतिनिधित्व :**

- i. के.आर.यू.सी.सी. के एक अशासकीय सदस्य को एन.आर.यू.सी.सी. रेल मंत्रालय, नई दिल्ली में नामित किया जाएगा।
- ii. एन.आर.यू.सी.सी. के लिए के.आर.यू.सी.सी. का नामांकन, बैठक में उपस्थित सभी अशासकीय सदस्यों की आम सहमति द्वारा अथवा गुप्त मतदान द्वारा होगा।
- iii. गुप्त मतदान: प्रत्येक सदस्य केवल एक उम्मीदवार के लिए मतदान कर सकेगा। यदि कोई सदस्य एक से अधिक उम्मीदवार के लिए वोट करता है, तो वोट अमान्य माना जाएगा। वोट पर्ची में किसी भी प्रकार की त्रुटि, सुधार आदि के परिणामस्वरूप वोट को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। बराबरी के मामले में, बैठक के लिए समिति के पीठासीन अध्यक्ष चुनाव का फैसला करने के लिए अपने मत का प्रयोग करेंगे। विवाद की स्थिति में पीठासीन अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।
- iv. सांसद/विधायक जो के.आर.यू.सी.सी. के सदस्य हैं, वे एन.आर.यू.सी.सी. के लिए निर्वाचित /नामांकित होने के पात्र नहीं हैं।

**7. अनुपस्थिति की अनुमति:**

अध्यक्ष/के.आर.यू.सी.सी.सदस्य को अनुपस्थिति की अनुमति मंजूर कर सकते हैं

**8. सुविधाएं एवं विशेषाधिकार:**

- i. के.आर.यू.सी.सी. के सदस्य को भारतीय रेलवे पर क्षेत्रीय उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के लिए उपलब्ध सुविधाओं प्राप्त होंगी।
- I. सदस्यों को एक के.आर.यू.सी.सी. पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जिसे सदस्य का कार्यकाल पूरा होने पर सचिव को लौटाना आवश्यक होगा।
- II. सदस्य किसी भी स्टेशन मास्टर/टिकट कलेक्टर/यात्रा टिकट परीक्षक जो सामान्यतः उपलब्ध है, उनकी उपस्थिति में डिब्बे या गाड़ी की जांच की व्यवस्था करने की मांग कर सकते हैं, यदि उन्हें यह संदेह होता है कि यात्री वैध टिकट के साथ यात्रा नहीं कर रहे हैं।
- III. सदस्य स्टेशनों पर बुक स्टॉल / ट्रॉली, खानपान और वैंडिंग प्रतिष्ठानों तथा गाड़ियों में भोजनयान का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत हैं।
- IV. सदस्य बिना प्लेटफार्म टिकट के स्टेशन के प्लेटफार्म में प्रवेश करने के लिए अधिकृत हैं।
- V. सदस्य ट्रेन में निःशुल्क यात्रा के हकदार नहीं हैं।

## 9. यात्रा सुविधा :

- i. संसद के सदस्यों के अलावा समिति के अशासकीय सदस्यों को के.आर.यू.सी.सी.बैठक में भाग लेने हेतु निवास स्थान और बैठक स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से निःशुल्क प्रथम श्रेणी का एक पास प्रदान किया जाएगा जिसपर एक परिचारक शयनयान श्रेणी में यात्रा कर सकता है। वापसी यात्रा के लिए भी इसी तरह की रियायत प्राप्त होगी।
- ii. बैठक में भाग लेने वाले संसद सदस्यों को उनके लिए तय किए गए मापदंड के अनुसार यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी।
- iii. मार्ग में यात्रा विराम करने की अनुमति है ।
- iv. जारी किए गए प्रथम श्रेणी पास के अधिकार पर, सदस्य राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों के अलावा किसी भी ट्रेन में द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित में यात्रा कर सकते हैं। सदस्य प्रथम श्रेणी वातानुकूलित और द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित के बीच के किराए के पूरे अंतर का भुगतान करके, प्रथम श्रेणी वातानुकूलित में राजधानी / शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों के अलावा अन्य ट्रेनों में भी यात्रा कर सकता है।
- v. बैठक में भाग लेने हेतु सदस्य को यात्रा पास बैठक की तारीख से एक पखवाड़े पहले जारी किए जाएंगे और बैठक के समापन की प्रत्याशित/तिथि से एक पखवाड़े के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
- vi. सदस्यों को हवाई यात्रा की अनुमति नहीं है।
- vii. यात्रा सुविधाएं रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होंगी।

## 10. दैनिक भत्ता :

अशासकीय सदस्यों के अलावा, संसद और विधान सभा के सदस्यों को दैनिक भत्ते का भुगतान समय-समय पर रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होगा। संसद सदस्य को दैनिक भत्ता उनके लिए निर्धारित दरों अनुसार दिया जाएगा। विधान सभा के सदस्यों के लिए दैनिक भत्ता संबंधित राज्य सरकार के दैनिक भत्ता नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

सदस्यों को देय यात्रा भत्ते की गणना करते समय यात्रा विरामों में शामिल अतिरिक्त दिनों को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

()()()